संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

22nd January, 2024

DO No. 04/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

As you are undoubtedly aware, the *Swachhata Pakhwada* is being organized from 16th to 31st January. 2024. This marks the ninth consecutive year of Swachhata Pakhwada implementation. The observation of Swachhata Pakhwada is a reiteration of our commitment to cleanliness not only in our organization, but also in the entire ecosystem related to our work. The vision of the Hon'ble Prime Minister, aiming to integrate *'swachhata'* into our collective attitude and culture, has undeniably enhanced our work environment. In the ongoing pakhwada, I urge the field formations to identify innovative practices that would be undertaken during the fortnight, and engage in Shramdaan activities in the communities where they are located. I am optimistic that the competitive spirit and enthusiastic engagement witnessed in previous Swachhata Pakhwadas will be replicated during this fortnight as well. Let us collectively contribute to fostering a cleaner and healthier environment around us.

I would also like to bring your attention to the nearing timelines under GST to issue show cause notices for the Financial Years 2018-19 and 2019-20. Although the timelines were recently extended (one month for F.Y. 2018-19 and two months for F.Y. 2019-20), it needs to be kept in mind by the proper officers that the issuance of show cause notices should be done after due consideration of facts and circumstances of the case and after examining the relevant documents submitted by the taxpayers. Needless to say, issuance of show cause notices recklessly will lead to unnecessary litigation in future. The Chief Commissioners of the Zones are advised to keep a close watch on the number of pending investigations, scrutiny, etc. to ensure that the officers under their supervision are working in a methodical manner.

On a similar vein, I would also like to sensitize the officers to give due attention to legacy adjudication. It has been pointed out previously on various occasions that substantial pendency of more than 1 lakh legacy cases involving Rs. 29,464 Crore is required to be adjudicated quickly as it has been more than six

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

years since the rollout of GST. With the promotion of 2398 officers from Group 'B' to Group 'A' level, there has been substantial increase in manpower at the level of adjudicating officers. The increased strength should also translate into faster liquidation of pendency.

In a major crackdown against drugs, the officers of the Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad, interdicted an export consignment at Air Cargo Complex Ahmedabad. A detailed investigation led to the busting of a production and smuggling ring of synthetic drugs and the seizure of 50 kg of Ketamine worth Rs 25 crores under the NDPS Act. During a swift follow-up, a factory set-up was also identified on the outskirts of Gandhinagar, where a detailed search led to further recovery of 46 kgs of powdery substance suspected to be NDPS. Three key persons involved in the said smuggling have been put under arrest.

In another notable incident, the officers of Hyderabad Customs, on the basis of passenger profiling, intercepted a suspect at the airport. On thorough inspection, heroin weighing 5.9 Kgs was found concealed in the side walls of the document holder and trolley bag. The value of the seized drugs is estimated to be about Rs. 41 Crores in the illicit market.

Outstanding efforts in thwarting the illicit trafficking of drugs along the borders.

Till next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH•ONE FAMILY•ONE FUTURE

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

22nd January, 2024

DO No. 04/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी

जैसा कि आप जानते हैं, 16 से 31 जनवरी, 2024 तक *स्वच्छता पखवाड़ा* का आयोजन किया जा रहा है।. यह स्वच्छता पखवाड़ा कार्यान्वयन का लगातार नौवां वर्ष है। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन न केवल हमारे संगठन में, बल्कि हमारे काम से संबंधित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में स्वच्छता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति है। माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य *'स्वच्छता'* को हमारे सामूहिक दृष्टिकोण और संस्कृति में एकीकृत करना है, ने निस्संदेह हमारे कार्य वातावरण को सुधारा है। चल रहे पखवाड़े में, मैं क्षेत्रीय संरचनाओं से पखवाड़े के दौरान अपनाई जाने वाली नवीन प्रथाओं की पहचान करने और उन समुदायों में श्रमदान गतिविधियों में शामिल होने का आग्रह करता हूं जहां वे स्थित हैं। मुझे आशा है कि पिछले स्वच्छता पखवाड़े में देखी गई प्रतिस्पर्धी भावना और उत्साहपूर्ण भागीदारी इस पखवाड़े के दौरान भी दोहराई जाएगी। आइए हम सामूहिक रूप से अपने आस-पास स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान दें।

मैं आपका ध्यान वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए जीएसटी के तहत आने वाली समयसीमा की ओर भी लाना चाहूंगा। हालाँकि समय-सीमा हाल ही में बढ़ा दी गई थी (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एक महीने और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दो महीने), उचित अधिकारियों को यह ध्यान में रखना होगा कि कारण बताओ नोटिस, तथ्यों पर उचित विचार और मामले की परिस्थितियों और करदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही जारी करना चाहिए। निस्संदेह यह कहने की जरूरत नहीं है कि बिना सतर्कता के कारण बताओ नोटिस जारी करने से भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। ज़ोन के मुख्य आयुक्तों को मेरी सलाह दी जाती है कि वे लंबित जांचों, संवीक्षा आदि की संख्या पर कड़ी नज़र रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी देखरेख में अधिकारी व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं।

इसी तरह, मैं अधिकारियों को लंबित मामलों संबंधी निर्णय पर उचित ध्यान देने के लिए भी संवेदनशील बनाना चाहूंगा। पहले भी विभिन्न अवसरों पर यह बताया गया है कि 1 लाख से अधिक पुराने मामले जिनमे 29,464 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं, लंबित हैं, का शीघ्र निर्णय किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि जीएसटी लागू हुए छह साल से अधिक समय हो गया है। ग्रुप 'बी' से ग्रुप 'ए' स्तर पर 2398 अधिकारियों की पदोन्नति के साथ, निर्णायक अधिकारियों के स्तर पर जनशक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई ताकत को लंबित मामलों के तेजी से निपटान में भी तब्दील होना चाहिए।

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

स्वापक पदार्थ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद के अधिकारियों ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में एक निर्यात खेप पर रोक लगा दी। एक विस्तृत जांच में सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन और तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और एनडीपीएस अधिनियम के तहत 25 करोड़ रुपये मूल्य की 50 किलोग्राम केटामाइन जब्त की गई। त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान, गांधीनगर के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री सेट-अप की भी पहचान की गई, जहां एक विस्तृत खोज से एनडीपीएस होने का संदेह होने पर 46 किलोग्राम पाउडर पदार्थ बरामद हुआ। उक्त तस्करी में शामिल तीन प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एक अन्य उल्लेखनीय घटना में, हैदराबाद सीमा शुल्क के अधिकारियों ने यात्री प्रोफाइलिंग के आधार पर हवाई अड्डे पर एक संदिग्ध को रोका। गहन निरीक्षण करने पर, दस्तावेज़ धारक और ट्रॉली बैग की साइड की दीवारों में 5.9 किलोग्राम वजन वाली हेरोइन छिपी हुई पाई गई। जब्त की गई दवाओं की कीमत अवैध बाज़ार में करीब 41 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सीमाओं पर स्वापक पदार्थ की अवैध तस्करी को रोकने में उत्कृष्ट प्रयास।

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष (सीबीआईसी)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।